

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक:-सी0सी0-02/16(खण्ड)-...../एम0, पटना, दिनांक-
प्रेषक,

E-mail/Fax/
Whats-App

अरुण प्रकाश, भा.प्र0से0
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उप निदेशक,
सभी सहायक निदेशक,
सभी खनिज विकास पदाधिकारी,
सभी खान निरीक्षक सह सक्षम पदाधिकारी,

विषय:- प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2018 (बुधवार)
को विभागीय समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 3327/एम0 दिनांक 13.08.2018
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि दिनांक 21.08.2018 को
होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दी गई है। उक्त बैठक अब दिनांक 29.08.2018
(बुधवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे से सभागार कक्ष में प्रधान सचिव की अध्यक्षता में आहूत की गई
है। उक्त बैठक में ससमय भाग लेना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी खनन पदाधिकारीगण (नव
पदस्थापित खान निरीक्षक सहित) निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित हों। बैठक में
निम्न विषयों की समीक्षा की जायेगी:-

1. बालू की उपलब्धता एवं दर के संबंध में विचार विमर्श।
2. BSMC कर्मचारी की अद्यतन स्थिति।
3. बालू के छुटे हुए घाटों की बंदोबस्ती।
4. High Court Cases Compliance.
5. Audit report, Pending की समीक्षा।
6. खनन क्षेत्र का निरीक्षण प्रतिवेदन।
7. DMF का गठन तथा PMKKKY के अन्तर्गत चिन्हित योजनाओं की समीक्षा।
8. ईट सत्र 2017-18 में संचालित कुल ईट भट्टों की संख्या तथा उनके विरुद्ध
पूर्ण/आंशिक/शून्य भुगतान की स्थिति एवं शून्य भुगतान के विरुद्ध कृत
कार्रवाई।
9. बालू बंदोबस्ती के बावत अद्यतन किस्तों का भुगतान की स्थिति।
10. अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव


ज्ञापांक-सी0सी0-02/16(खण्ड)-...../एम0, पटना, दिनांक-.....


प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर सचिव कोषांग/विशेष सचिव-सह-निदेशक कोषांग,
खान एवं भूतत्व विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदा0/उप निदेशक,
(मु0)/सहायक निदेशक, (मु0)/उप निदेशक, अंचल कार्यालय, पटना/अवर सचिव/
सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक, खान एवं भूतत्व
विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- सी0सी0-02/16(खण्ड)-3376/एम0, पटना, दिनांक-20/8/18
प्रतिलिपि:-श्री नीलकमल, आशुलिपिक/श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, आशुटकक, खान एवं भूतत्व विभाग को
निदेश दिया जाता है कि उक्त बैठक की कार्रवाई का प्रारूप तैयार करेंगे तथा 24 घंटों में
उपस्थापित करेंगे।




सरकार के संयुक्त सचिव